

परिशिष्ट 9.17

वन विभाग

विविध

10 फरवरी, 1960 ई.

सं. 1115/14 - 331-50 - उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन ऐक्ट, 1927 (ऐक्ट सं. 16, 1927) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन अपेक्षित जांच अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खत सकता है।

अतएव उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबंधक द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा 80-ए के साथ उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय 4 के उपसंगन अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, फर्लांग और फीटों में	विवरण
39 - बस्ती	1. जी. टी. रोड नेशनल हाइवे	85 मील से 148 मील तक योग 64 मील	भूमि की सीमा पत्थर द्वारा अंकित की गयी
	2. जी. टी. रोड नेशनल हाइवे	मील 89 से 92 बाईपास पूरी लम्बाई 5 1/2 मील	"
	3. बस्ती - डुमरियागंज बरहमी रोड	मील 5 फ. 3 से मील 55= 50 5/8 मील	"
	4. खलीलाबाद - मुद्दाल रोड	मील 1 से 15 = 15 मील	"
	5. खलीलाबाद - नाथनगर मुखलिसपुर रोड	मील 1 से 13 मी. 4 फ. = 12 1/2 मील	"
	6. खलीलाबाद रेलवे फीडर	शून्य से 2 फ. तक	"
	7. बस्ती - बांसी रोड	शून्य से 32 मील 2 फ.	"
	8. बांसी - नौगढ़ रोड	1 फ. 238 फीट से 9 मील 6 फ. तक	"
	9. नौगढ़ - शोहरतगढ़	शून्य से 14 मील 2 फ.	"
	10. शोहरतगढ़ - नेपाल बार्ड रोड	शून्य से 5 मील 4 फ.	"
	11. नौगढ़ - लुम्बिनी गार्डन्स रोड	शून्य से 16 मील 330 फीट	"
40 - गोण्डा	1. बहराईच - बलरामपुर रोड	मील 29 से 39 तक	"
	2. गोण्डा - बलरामपुर रोड	मील 0 से 26 तक	"
	3. बलरामपुर - तुलसीपुर रोड	मील 0 से 17 तक	"